Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

अप्रैल 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

15/04/2024 से 21/04/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान	1 - 7
2.	खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024	8 - 14
3.	मेक्सिको – इक्काडोर संघर्ष	14 - 18
4.	भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी	18 - 24
5.	भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका	24 - 29
6.	हरित ऋण कार्यक्रम	30 - 34

करंट अफेयर्स अप्रैल 2024

एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ' महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2024 : भारत की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 11 अप्रैल 2024 को जारी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (एफ़वाई 25) के लिए जारी किए गए पहले के पूर्वानुमान 6.7 प्रतिशत को संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
- एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% रही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में इसकी विकास दर 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है।
- एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया द्विमासिक मौद्रिक नीति में, वित्तीय वर्ष 25 (2024-25) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया था।
- एडीबी के अनुसार, वैश्विक आर्थिक समस्याओं के बावजूद, भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और सहायक सरकारी नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। एडीबी की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि मजबूत निवेश, खपत में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेवा निर्यात में बढ़त के कारण भारत एशिया में एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) :

जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है। यह देश में वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल योग होता है।

जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) क्या है ?

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसने 19 दिसंबर, 1966 को 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया था। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं जबकि अन्य 19 सदस्य देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बाहर से हैं।
- इसका स्वामित्व इसके कुल सदस्य देशों के 68 सदस्यों में से 49 सदस्य देशों के पास है।
- भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- एडीबी के पांच सबसे बड़े शेयर धारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों के 15.6% के साथ प्रत्येक), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।

- यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकासात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है।
- एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
- वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं|

एडीबी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर के उन्नयन का प्रमुख कारण :

एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित उच्च विकास दर होने के कई कारकों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है –

सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय :

- एडीबी के अनुसार, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 17% बढ़ जाएगा। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को धन के हस्तांतरण से देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- बुनियादी ढांचे के विकास का अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति को बल प्रदान करेगा।
- ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर 2023 में आठ महीने के सबसे निचले स्तर 55.5 से नवंबर 2023 में 56.0 पर पहुंच गया था।

आवास क्षेत्र को बढ़ावा :

- भारत में मध्यम आय वाले परिवारों के लिए शहरी आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की नई पहल से आवास क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्थिर एवं निम्न मुद्रास्फीति :

- एडीबी की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 25 में मध्यम मुद्रास्फीति दर 4.6% रहने की उम्मीद है, जो 2025-26 में गिरकर 4.5% होने की उम्मीद है। बैंक के अनुसार इससे आरबीआई उदार मौद्रिक नीति को अपनाएगा।
- इसके कारण भारत में ब्याज दर स्थिर या कम रहने की उम्मीद है, जिससे बैंकों द्वारा कंपनियों को अधिक ऋण देने

में मदद मिलेगी।

- इससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा।
- इससे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा और संबंधित क्षेत्र से निर्यात भी बढ़ेगा।
- भारत में मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 5.10 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2024 में 5.09 प्रतिशत हो गई। भारत की मुद्रास्फीति दर 2025 में लगभग 4.30 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मौद्रिक नीति : आरबीआई ने 2023-24 के लिए रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप हो।

सार्वजनिक और निजी निवेश : केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि से बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थिर ब्याज दरों से निजी कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की मांग बढ़ने का अनुमान है, जो समग्र आर्थिक विस्तार में योगदान देगा।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि : सामान्य मानसून की उम्मीदें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देनेऔर उससे आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय विकास के लिए की गई सरकारी पहल और नीतियां :

क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण (आरसीआई) सम्मेलन 2023 :

इसका आयोजन जॉर्जिया के त्बिलिसी में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा किया गया था।

इसका मुख्य थीम – ' आर्थिक गलियारा विकास (ईसीडी) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना' था ।

उद्देश्य : इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गलियारा विकास की सहायता से स्थानिक परिवर्तन और क्षेत्र-केंद्रित दृष्टि-कोण को एकीकृत करना है।

इस सम्मेलन में, भारत ने सामाजिक-आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एडीबी और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित जी-आईएस-आधारित तकनीक की पेशकश की।

बुनियादी ढाँचा विकास : बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के सरकारी प्रयासों से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और भविष्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

राजकोषीय समेकन : वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए लक्षित घाटे के साथ राजकोषीय समेकन पर सरकार का ध्यान, सकल विपणन उधार को कम करना और निजी क्षेत्र के ऋण के लिए जगह बनाना है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और मल्टी – मॉडल कनेक्टिविटी : इसे मूल रूप से, पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कनेक्टि-विटी के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास लाने और जीआईएस-आधारित तकनीक की मदद से क्षेत्रीय भागीदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है । उदाहरण के लिए – भारत – नेपाल हल्दिया एक्सेस नियंत्रित गलियारा परियोजना।

जोखिम और चुनौतियाँ :

वैश्विक झटके : अप्रत्याशित वैश्विक झटके, जैसे कच्चे तेल के बाजारों में आपूर्ति में व्यवधान और कृषि उत्पादन पर मौसम संबंधी प्रभाव, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

विदेशी निवेश और निर्यात: तंग वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ निकट अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि माल निर्यात को प्रभावित कर सकती है।

एडीबी की प्रतिबद्धता :

समावेशी विकास : एडीबी अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे प्रयासों के साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, समावेशिता, लचीलापन और स्थिरता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान है।

क्षेत्रीय विकास और सहयोग को समर्थन देना : एशियाई विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य मिशन क्षेत्रीय विकास और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को समर्थन करना है।

2023 – 24/ 2024 – 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर :

विभिन्न वैश्विक और भारतीय वित्तीय एजेंसियों के पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं (12 अप्रैल 2024 तक)

एजेंसी/संगठन	2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान	2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का पूर्वानुमान	2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक	8%	7%	
विश्व बैंक	7.5%	6.6%	6.5%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	6.7%	6.5%	6.5%
एशियाई विकास बैंक	7.6%	7%	7.2 %
मूडीज़	6.8% (जनवरी से दिसंबर 2024)	6.4% (जनवरी से दिसंबर 2025)	–
मॉर्गन स्टेनली	7.9%	6.8%	–
एस एंड पी ग्लोबल	7.4%	6.8%	7%
संयुक्त राष्ट्र	6.2% (जनवरी से दिसंबर 2024)	6.6 (जनवरी से दिसंबर 2025)	
ओ ई सी डी	6.3%	6.2 %	6.5%
फिच रेटिंग	7.8%	7.0%	–
क्रिसिल	7.6%	6.8%	–
सिटी बैंक		6.8%	
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक		7.0%	

निष्कर्ष / आगे की राह:

- भारत में नीति निर्माताओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के नियमों को सरल बनाना होगा।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आसान नीतिगत माहौल के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के एडीबी के सुझाव पर गौर करना भारत के केंद्र सरकार के लिए अच्छा रहेगा।
- पश्चिम एशिया में जारी बेहद ही नाजुक हालातों और लाल सागर से गुजरने वाले सामान्य पूर्व-पश्चिम नौवहन मार्ग में

व्यवधान सहित वैश्विक व्यापार की विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और अपने संचालन एवं क्रियान्वयन (लॉजिस्टिक्स) से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करने से जुड़ी एडीबी की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए।

- मजबूत विनिर्माण विकास, निवेश, उपभोग मांग पर काम करना, मुद्रास्फीति में कमी और सहायक मौद्रिक नीति, क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों को स्वीकार करता है।
2. एशियाई विकास बैंक में चीन का शेयर सबसे अधिक है, जो इस बैंक के स्वामित्व का लगभग 15.5% है।
3. भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है।
4. एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति स्थिति विकसित करने के लिए अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है", इस कथन के आलोक में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा करें।

(यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2017) (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

Q.2. भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें।

(यूपीएससी मुख्य परीक्षा – 2014) (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 – ' सामाजिक न्याय के संदर्भ में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP), सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 12.3, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) और यू-नाइटेड किंगडम स्थित गैर-लाभकारी संगठन वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP) द्वारा संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024 जारी की गई है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए ट्रैकिंग करने तथा इसकी निगरानी करने हेतु डेटा के बुनियादी ढाँचे में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने की जरूरत है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2021 में प्रकाशित किया गया था।
- वर्तमान में जारी किया गया यह रिपोर्ट एक बड़े डेटासेट पर आधारित है एवं संपूर्ण विश्व में बर्बाद होने वाले भोजन के बारे में एक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है।
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट संपुर्ण विश्व में भोजन की बर्बादी को रोकने के समाधान के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से एक बहु – हितधारक सहयोग को विकसित करने की प्रणाली को अपनाने का सुझाव देती है।
- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, यह भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।**

क्या है वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP) :

- प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया जाता है।
- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के पहले प्रकाशित की गई है।
- यह जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी और गैर – सरकारी संगठन (NGO) है जो जलवायु संकट के कारणों से निपटने और पृथ्वी को संधारणीय भविष्य प्रदान करने की दिशा के लिए संपूर्ण विश्व में कार्य करता है।
- यह रिपोर्ट भोजन की बर्बादी (Food Waste) को मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य हिस्सों के रूप में परिभाषित करती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक ओर वैश्विक स्तर पर जहाँ संपूर्ण विश्व के परिवारों ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक 'एक वक्त का भोजन' बर्बाद किया है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर करीब 783 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित या शिकार हुए हैं।
- वर्ष 2022 में 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ (अखाद्य भागों सहित), जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम था और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा था।
- वर्ष 2022 में बर्बाद हुए कुल भोजन में से 60 प्रतिशत घरेलू स्तर पर हुआ, जिसमें 28 प्रतिशत के लिए खाद्य सेवाएँ और 12 प्रतिशत के लिए खुदरा क्षेत्र जिम्मेदार रहा।
- इसके अलावा, संपूर्ण जनसंख्या के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है।
- 'खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा) के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज

के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करता है।

- फसलों और पशुधन की कोई भी मात्रा जो मानव-खाद्य वस्तुएँ हैं, जो बिक्री स्तर के बिंदु के अतिरिक्त **"प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कटाई के बाद/पशुधन पशु उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह से बाहर निकल जाती हैं को "फूड लॉस"** कहा जाता है।
- फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट वर्ष 2030 (SDG 12.3) तक भोजन की बर्बादी को आधा करने में राष्ट्र स्तरीय प्रगति का निगरानी करता है।
- SDG 12 का लक्ष्य सतत् उपभोग और उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG)-12.3 के दो संकेतकों को 2030 तक हासिल करने के लक्ष्य पर आधारित है। ये दो संकेतक निम्नलिखित हैं –
- SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI) इस संकेतक का उप – संकेतक है।
- FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है।
- खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक है।
- SDG 12.3.1 (b): FWI इस संकेतक का उप-संकेतक है।
- FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) :

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्यावरण पर कार्य करने वाली एक अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है।
- **इसकी स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के माध्यम से की गई थी।**
- **इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है।**
- **UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक है।**
- यह भविष्य की पीढ़ियों से पर्यावरण की देखभाल में समझौता किए बिना उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना, सूचित करना और सक्षम बनाना है और विभिन्न राष्ट्रों एवं नागरिकों के बीच की साझेदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु :

- **खाद्य अपशिष्ट में कम असमानता :** खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, 2024 उच्च – आय, उच्च – मध्यम आय और निम्न – मध्यम आय वाले देशों में, घरेलू खाद्य अपशिष्ट के औसत स्तर में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल 7 किलोग्राम का अंतर देखा गया है।

- **खाद्य अपशिष्ट और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन :** खाद्य हानि और अपशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (Global Greenhouse Gas- GHG) उत्सर्जन का 8-10% अर्थात् विमानन क्षेत्र के कुल उत्सर्जन के लगभग 5 गुना से अधिक उत्पन्न करते हैं। यह तब होता है जब मानवता का एक तिहाई हिस्सा खाद्य असुरक्षा का सामना करता है

- **भोजन की बर्बादी का स्तर :** वर्ष 2022 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों ने 1.05 बिलियन टन भोजन बर्बाद किया यानी खुदरा, खाद्य सेवा और घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का पाँचवाँ हिस्सा (19%) बर्बाद हुआ। खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agricultural Organization-FAO) के अनुमान के अनुसार, यह फसल के बाद से लेकर खुदरा बिक्री तक, आपूर्ति श्रृंखला में लुप्त/नष्ट हो जाने वाले विश्व के 13% भोजन के अतिरिक्त है।

- **शहरी – ग्रामीण असमानताएँ :** मध्यम आय वाले देशों में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच भिन्नता दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर भोजन की कम बर्बादी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए खाद्य पदार्थों को पालतू जानवरों, पशुओं के चारे और घरेलू खाद में अधिक उपयोग किया जाता है।

- **तापमान और खाद्य अपशिष्ट के बीच सहसंबंध :** गर्म देशों में प्रति व्यक्ति घरेलू भोजन की बर्बादी संभवतः अधिक ताज़े खाद्य पदार्थों के सेवन के परिणामस्वरूप ज़्यादा होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अनुपयुक्त घटक शामिल होते हैं और सुदृढ़ कोल्ड चेन की कमी होती है। उच्च मौसमी तापमान, अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ और अनावृष्टि भोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, संसाधित करना, परिवहन करना तथा बेचना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है, जिससे प्रायः भोजन की एक बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है या नष्ट हो जाती है।

- **प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त प्रणाली का अभाव :** कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करने के सतत् विकास लक्ष्य 12.3 को पूरा करने के लिए खुदरा तथा खाद्य सेवाओं में प्रगति को ट्रैक करने हेतु पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। वर्तमान में, केवल चार G20 देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस) और यूरोपीय संघ के पास वर्ष 2030 तक प्रगति को ट्रैक करने के लिए खाद्य अपशिष्ट अनुमान उपलब्ध हैं।

- **डेटा में भिन्नता और उपराष्ट्रीय अनुमान :** भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भोजन की बर्बादी के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय डेटा में एक व्यापक अंतर हैं, जो यह बताता है कि खाद्य अपशिष्ट परिदृश्य के स्पष्ट आँकड़ों को अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है।

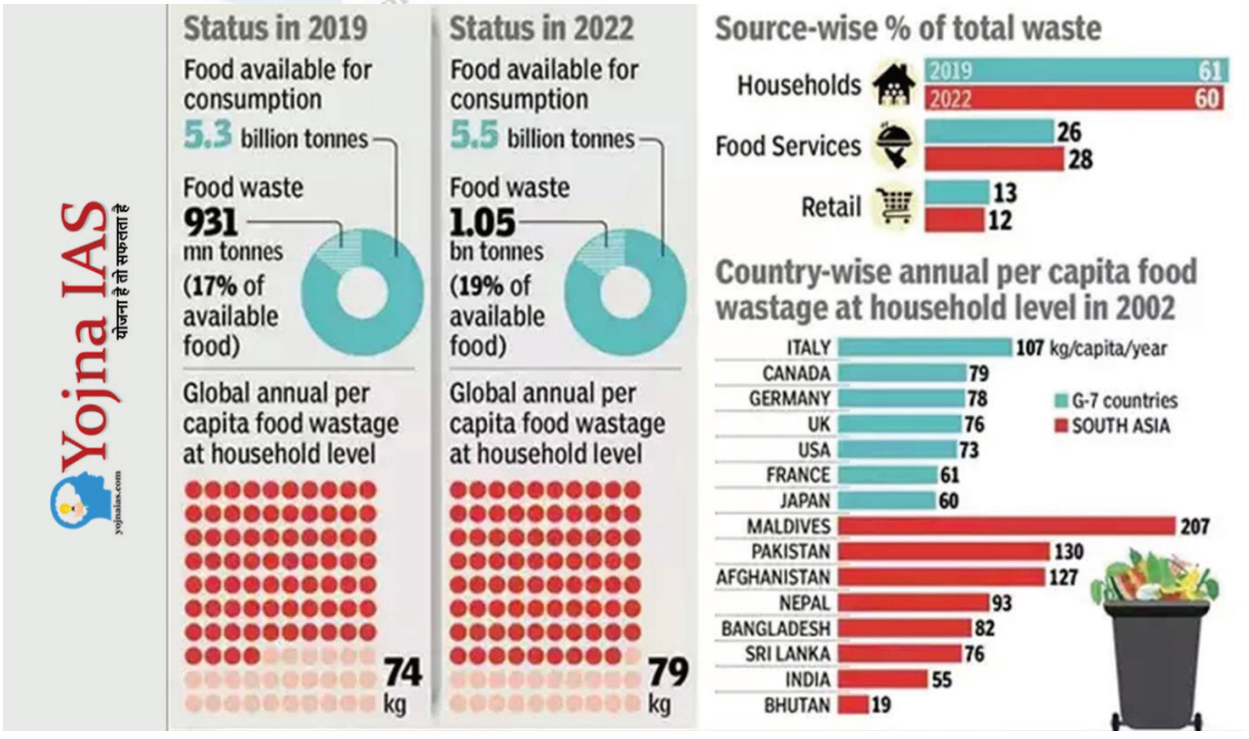

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 की प्रमुख सिफारिशें :

- **G20 देशों की भागीदारी :** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य अपशिष्ट के संबंध में जागरूकता तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक उपभोक्ता रुझानों पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए, सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 12.3 को प्राप्त करने के लिए G20 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं नीति विकास में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करना।

- **सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना :** भोजन की बर्बादी और जलवायु तथा जल तनाव पर इसके प्रभावों को कम करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnerships- PPP) को अपनाने को प्रोत्साहित करें, लक्ष्य-माप-अधिनियम दृष्टिकोण के माध्यम से एक साझा लक्ष्य को सहयोग करने तथा वितरित करने हेतु सरकारों, क्षेत्रीय एवं उद्योग समूहों को एक साथ लाना।

- **खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का उपयोग :** खाद्य अपशिष्ट को लगातार मापने के लिये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का उपयोग करने हेतु देशों का समर्थन, मज़बूत राष्ट्रीय आधार रेखाएँ विकसित करना और SDG 12.3 की दिशा में प्रगति को ट्रैक करना। इसमें विशेष रूप से खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में व्यापक खाद्य अपशिष्ट डेटा संग्रह की कमी को संबोधित करना शामिल है।

- **सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयास :** वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करके SDG 12.3 हासिल करने के लिए सटीक माप, नवीन समाधान और सामूहिक कार्रवाई के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, खाद्य बर्बादी को कम करने के प्रयासों में सहयोग करने हेतु सरकारों, शहरों, खाद्य व्यवसायों, शोधकर्त्ताओं से आग्रह करने की आवश्यकता है।

खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने से संबंधित किए जा रहे प्रमुख प्रयास :

- **संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल है।

- **बफर स्टॉक / सुरक्षित भंडार :** भारतीय खाद्य निगम (FCI) का मुख्य कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्या-

न्न की खरीद और विभिन्न स्थानों पर उसके गोदामों में भंडारण करना है। इसके बाद आवश्यकतानुसार यहाँ से राज्य सरकारों को खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) :** यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण का कल्याणकारी से अधिकार – आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित होने का प्रतीक है।
- **NFSA 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को निम्नलिखित योजना के तहत शामिल करता है –**
- **अंत्योदय अन्न योजना :** इसके अंतर्गत सबसे निर्धन लोग शामिल हैं, इन्हें प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) :** PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC CSE- 2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया मानी जायेंगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन को घर ले जाने की हक़दार हैं।
4. वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1, 2 और3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4

D. केवल 1 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है ?

Q.2. भारत में भुखमरी की समस्या से जूझने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। भारत में आपूर्ति शृंखला में खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में सतत् खाद्य आपूर्ति प्रणाली के लिए व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है ?

(UPSC CSE – 2021)

मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' वियना सम्मेलन और मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' मेक्सिको – इक्वाडोर संघर्ष ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को, इक्वाडोर की पुलिस ने क्विटो में स्थित मेक्सिको के दूतावास में जबरन प्रवेश कर पूर्व – उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार कर लिया जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा सुनाए जाने के बाद दूतावास में शरण लिए हुए थे।
- इस कार्रवाई को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जा रहा है, जो दूतावासों की संप्रभुता की रक्षा करता है।
- मेक्सिको ने इस घटना को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इक्वाडोर के खिलाफ नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है।
- मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र से इक्वाडोर को बाहर निकालने की मांग की है।
- इक्वाडोर ने मेक्सिको की राजदूत रेकेल सेरोर स्मेके को अवांछित व्यक्ति घोषित किया, जिसके जवाब में मेक्सिको ने दूतावास में घुसपैठ का वीडियो जारी किया।
- इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने इस कार्रवाई को अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा बताया। हालांकि,

उनकी लोकप्रियता में गिरावट और बढ़ती हिंसा के बीच, आलोचकों का मानना है कि वह इस राजनयिक संकट का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।

- इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच के इस वर्तमान राजनयिक संकट ने दो देशों के बीच के राजनयिक संबंधों की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के महत्व और इसकी अत्यंत जरूरत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकृष्ट करवाया है और साथ – ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुदायों को चिंता में भी डाल दिया है।

वियना कन्वेंशन (सम्मेलन) क्या है ?

VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS

Done at Vienna
On 18 April 1961

- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations) स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक पूर्ण रूपरेखा या पूर्ण ढाँचा प्रदान करता है।
- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 24 अप्रैल, 1964 को लागू हुआ था और विश्व के लगभग सभी देशों ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है, किन्तु पलाऊ और दक्षिण सूडान वियना कन्वेंशन से अलग और अपवाद है।
- भारत राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- यह सम्मेलन राजनयिक प्रतिरक्षा के लंबे समय से चली आ रही प्रथा को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राजनयिक मिशनों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है।
- ये विशेषाधिकार राजनयिकों को मेजबान देश (जहां दूतावास स्थित है) द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं।
- इस सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार यह सदस्य देशों को किसी भी राजनयिक मिशन की सीमा को किसी तरह से अनुल्लंघन करने से रोकता है।
- वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 22 मिशन के परिसर के संबंध में दायित्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के भाग 2 में कहा गया है कि दूतावास के मेजबान देश किसी भी घुसपैठ या क्षति से मिशन के परिसर की रक्षा के लिए और मिशन की शांति को किसी भी तरह की गड़बड़ी या इसकी गरिमा की हानि को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए

विशेष कर्तव्य बंधे हुए हैं।

- किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। वैसे राजनयिक मिशन अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात कर सकता है परन्तु मेजबान देश ही सुरक्षा के लिए जवाबदेह होता है।
- उच्चायोग और दूतावास के बीच अंतर मूलतः यह है कि वे कहाँ और किस देश में स्थित हैं। उच्चायोग जहाँ राष्ट्रमंडल सदस्य देशों पर लागू होता है वहीं दूतावास शेष विश्व पर लागू होता है।।
- **अनुल्लंघनीयता का सिद्धांत (Principle of Inviolability) :** राजनयिक मिशन का परिसर अनुल्लंघनीय होगा। कोई भी संबंधित देश या स्टेट के एजेंट मिशन के प्रमुख की सहमति या अनुमति के बिना उस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है।
- **ड्यूटी ऑफ स्टेट** : संबंधित देश किसी भी घुसपैठ या क्षति के खिलाफ राजनयिक मिशन के परिसर की रक्षा करने और राजनयिक मिशन की शांति में किसी भी गड़बड़ी या इसकी गरिमा की हानि को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।
- **उन्मुक्ति :** राजनयिक मिशन का परिसर, उनका साजो – सामान के साथ – ही साथ उस पर मौजूद अन्य संपत्ति और राजनयिक मिशन के परिवहन के साधन तलाशी, माँग, कुर्की या निष्पादन से मुक्त होंगे।

इक्वाडोर – मेक्सिको के वर्तमान तनाव से उत्पन्न होने वाले राजनयिक संकट :

- **राजनीतिक रूप से प्रेरित होना :** पूर्व – उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास और पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का दावा करते हैं।
- **राजनयिक परिणाम :** राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को अपने प्रशासन के एजेंडे के केंद्रीय पहलू के रूप में देखते हैं , जिससे मेक्सिको के साथ राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।
- **बढ़ता कूटनीतिक संकट :** संयुक्त राष्ट्र से इक्वाडोर को निष्कासित करने का मेक्सिको का कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस वर्तमान तनाव के और अधिक बढ़ने का संकेत देता है।

मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद का महत्वपूर्ण कारण और इसका राजनीतिक परिणाम :

मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद का प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

1. **वियना समझौते का उल्लंघन :** इक्वाडोर की पुलिस द्वारा मेक्सिको के दूतावास में छापामारी वियना समझौते के तहत दूतावासों की संप्रभुता का उल्लंघन है।
2. **राजनयिक संकट :** इस घटना ने दोनों देशों के बीच एक गंभीर राजनयिक संकट पैदा कर दिया है, जिसमें मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने का ऐलान किया है।1
3. **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इक्वाडोर के खिलाफ शिकायत दर्ज होना :** मेक्सिको ने इक्वाडोर के खिलाफ नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है।1
4. **आंतरिक मुद्दे :** इक्वाडोर में बढ़ती गैंग हिंसा और भ्रष्टाचार भी इस संकट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हैं।
5. **जनमत संग्रह :** इक्वाडोरवासी अगले हफ्ते उस जनमत संग्रह के लिए मतदान करने जा रहे हैं जो गैंग हिंसा के खिलाफ

लड़ने के लिए सरकार को ज्यादा सुरक्षा शक्तियां प्रदान करेगा।

6. **ईस्टर सप्ताहांत की हिंसा :** इक्वाडोर में ईस्टर सप्ताहांत के दौरान 100 से ज्यादा हत्याएं हुईं, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है।

7. **घरेलू चुनौतियों के बीच राजनीतिक अवसरवादिता :** आलोचकों ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ पर मेक्सिको के साथ राजनयिक संकट और बढ़ती घरेलू चुनौतियों के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्तमान राजनयिक संकट का उपयोग राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

8. **बढ़ती सामूहिक हिंसा :** घरेलू स्तर पर बढ़ती सामूहिक हिंसा से निपटने के अपने तरीके को लेकर राष्ट्रपति नोबोआ को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक हिंसा के अंतर्निहित मुद्दों के समाधान से संबंधित का समाधान करने में उत्पन्न विफलता वर्तमान संकट के प्रति प्रशासन की प्रतिक्रिया की विश्वसनीयता को कम करती है।

9. भ्रष्टाचार और हिंसा से निपटने के वादों के बावजूद, उनका प्रशासन खासकर गुआयाकिल जैसे शहरों में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों से जूझ रहा है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- मेक्सिको – इक्वाडोर विवाद के संकट का समाधान करने के लिए दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आपसी संवाद और समझौते की दिशा में काम करना होगा।
- इक्वाडोरवासियों के सुरक्षा उपायों पर मतदान करने की तैयारी करना महत्वपूर्ण है, परन्तु सरकार को राजनयिक लापरवाही का सहारा लेने के बजाय हिंसा से निपटने और व्यवस्था बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों के आधार पर इक्वाडोर को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन और सम्मान करते हुए विश्वसनीय व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए। उन्हें संगठित हिंसा के खिलाफ जंग में पूरी ताकत लगाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार से लड़ाई में भी सक्रिय रहना चाहिए।
- इक्वाडोर को अपने सामने मौजूद बेशुमार चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता और समर्थन प्राप्त करना चाहिए और सुरक्षा और स्थिति को सुधारने के लिए समृद्ध और संविदानशील समाधानों की ओर अग्रसर होना होगा।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इक्वाडोर और मेक्सिको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
2. गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है।

निम्नलिखित कथन / कथनों में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न 1 और न ही 2

उत्तर – D

व्याख्या:

- इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का ही हिस्सा है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सा है। इसलिए दोनों ही कथन सही है।
- **अतः विकल्प D सही उत्तर है।**

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राजनयिक संबंधों के संदर्भ में वियना कन्वेंशन (सम्मेलन) क्या है ? इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच होने वाले आपसी संघर्ष के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मलेन के आधार पर इसका समाधान प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक -15)

भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत में बैंकिंग प्रणाली एवं बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

Banks battle worst deposit crunch in at least 20 yrs

AT 80%, THE CREDIT-DEPOSIT RATIO IS AT ITS PEAK SINCE 2005

MUMBAI: Banks in India struggled to attract deposits in FY24, even as credit growth soared. Data from the Reserve Bank of India (RBI) showed the credit-deposit ratio at its highest in at least 20 years, as loan offtake rose across categories including home loans and other loans for consumption.

At 80%, the credit-deposit or CD ratio is at its highest since 2005, the earliest period for which data is available. The CD ratio indicates how much of a bank's deposit base is being utilized for loans. The FY24 data is up to 22 March, the last fortnight for the previous fiscal year.

"Customers are chasing high-return, equity-linked products," said Bhavik Hathi, managing director of consulting firm Alvarez and Marsal, adding that the solid performance of equity markets in the past few months and rising financial literacy have encouraged investors to put in money into such securities for higher returns.

Banks hiked deposit rates last fiscal year to draw in retail deposits, as they faced competition from peers, other investment avenues, and some shift in preferences from financial assets towards real assets.

The next set of data on credit and deposit is expected for the fortnight ending 5 April. *Mint* used the aggregate bank credit data and not just the non-food data—bank credit after adjusting for loans given to the Food Corporation of India (FCI)—to calculate the CD ratio.

Experts said high CD ratio increases the reliance of lenders on high-cost, bulk deposits, which may not be part of a bank's core depositor base. "Such bulk deposits may also be prone to higher outflows, which may pose liquidity risk to banks," said Anil Gupta, senior vice-president, co group head - financial sector ratings, Icra.

Subha Sri Narayanan, director, Crisil Ratings said that in the past few quarters, lenders have used their excess statutory liquidity ratio (SLR) holdings, which supported credit growth despite the lower deposit growth. Mint reported in January that banks were liquidating some investments in sovereign securities to fund the demand for loans. SLR is the proportion of deposits that banks have to mandatorily invest in approved securities. The pace of growth of bank credit surpassed deposit growth in 2023-24, the data showed. In 2023-24, while deposits grew 13.5% to ₹204.8 trillion, non-food credit grew 20.2% to ₹164.1 trillion as on 22 March. In 2022-23, deposits grew 9.6% and credit, 15.4%.

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान स्थिति के संबंध में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार में भारत में बैंक जमा राशि की कमी या 'डिपॉजिट क्रंच' का सामना कर रही है। इस स्थिति का मुख्य कारण बचत खातों में जमा धन की वृद्धि दर में कमी और बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति को बताया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय बैंकों में सबसे कम जमा प्राप्ति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विगत दो दशकों में ऋण-जमा अनुपात काफी असंतुलित हो गया है। इस परिस्थिति में भारतीय बैंकों के पास नए ऋण देने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है।
- डिजिटल भुगतान की बढ़ती प्रवृत्ति और नकदी के प्रति लोगों की बढ़ती निर्भरता ने भी जमा राशि में कमी को प्रभावित किया है। बैंकों को अपनी जमा दरों को बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनना पड़ रहा है।
- 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरतों के संबंध में अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम नियत दर या उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करता है।

बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी क्यों होता है ?

- वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में भारतीय बैंकों को नकदी जमा प्राप्ति अर्थात डिपॉजिट क्रंच के संकट का सामना करना पड़ा था।
- वर्तमान में ऋण-जमा अनुपात 80%-20% के साथ वर्ष 2015 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।
- जमा नकदी का अनुपात यह इंगित करता है कि किसी बैंक का कितना जमा ऋण के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण वृद्धि में तेजी आई है, जबकि जमा वृद्धि दर में कमी देखी

गई है। परिणामस्वरूप, ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है।

- ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन का मुख्य कारण ऋण में वृद्धि है, जो खुदरा और सेवा क्षेत्रों में अधिक ऋण देने के कारण हुई है। इसके अलावा, निजी निवेश में वृद्धि और सरकारी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी ने भी ऋण मांग को बढ़ाया है।
- भारत में बैंकों में जमा करने वाली राशि में वृद्धि में कमी के कई कारण हैं। उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण लोगों ने अपनी बचत को अन्य निवेश विकल्पों में लगाना प्रारंभ किया है, जिससे बैंकों में जमा राशि में कमी आई है।
- भारत में बैंकों के डिजिटलीकरण और नए वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानों के उदय ने भी जमा वृद्धि को प्रभावित किया है।
- भारत में ऋण-जमा अनुपात में असंतुलन के निहितार्थ व्यापक हैं। बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन और ऋण नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही, बैंकों को अपने जमा आधार को विविधता प्रदान करने और नए जमा उत्पादों को विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता और जन-जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोग बैंकिंग प्रणाली में अधिक जमा करने के लिए प्रेरित हों।

नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है ?

- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विनियमन विश्व के लगभग हर देश में लागू होता है। सीआरआर वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने जमा के रूप में केंद्रीय बैंक में नकदी के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसकी गणना बैंकों की शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिसमें बचत खाते, चालू खाते, और सावधि जमा शामिल होते हैं।
- सीआरआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने ग्राहकों की नकदी निकासी की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो। यह बैंकों को अत्यधिक ऋण देने से रोकता है और उन्हें अधिक जोखिम लेने से बचाता है। सीआरआर दर को आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि बाजार में नकदी की स्थिति के अनुसार उचित संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा, सीआरआर बैंकों को अपने जमाकर्ताओं के लिए एक निश्चित नकदी आरक्षित रखने के लिए बाध्य करता है, जिससे वे अपने जमाकर्ताओं की तत्काल नकदी निकासी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस प्रकार, सीआरआर बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है और वित्तीय संकट के समय में बैंकों को अपने जमाकर्ताओं की नकदी निकासी की मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय बैंकों में डिपॉजिट क्रंच / जमा प्राप्ति में कमी होने का प्रमुख कारण :

- बैंकों में जमा नकदी का संकट तब उत्पन्न होता है जब बैंकों के पास अपने ग्राहकों को उधार देने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। परिणामस्वरूप, व्यवसायों के सुचारु संचालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, और कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने में देरी होती है। यह आर्थिक स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है।

- बेहतरीन बाज़ार प्रदर्शन एवं बढ़ती वित्तीय जागरूकता के कारण निवेशक तेज़ी से उच्च – रिटर्न, इक्विटी – लिंक्ड उत्पादों की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं, जिससे बैंकों के समक्ष जमा प्राप्त करने और ऋण वृद्धि के समर्थन की दोहरी चुनौती उत्पन्न होती है।
- भारत में बैंकों में जमा राशि के एक हिस्से को नियामक आवश्यकताओं जैसे- नकद आरक्षित अनुपात (CRR) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) ऋण देने योग्य धन को कम करने एवं जमा के लिये प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिए अलग रखा जाता है।
- हाल की तिमाही में बैंकों ने धीमी जमा वृद्धि के बीच ऋण को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिशेष SLR होल्डिंग्स का उपयोग किया, लेकिन जैसे-जैसे SLR बफर्स कम होते हैं, उन्हें लाभप्रदाता के साथ जमा दर में बढ़ोतरी को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, वैकल्पिक निवेश विकल्पों तथा वास्तविक संपत्तियों की ओर बदलाव के बीच खुदरा जमा को आकर्षित करने के लिये बैंकों में पिछले वित्त वर्ष में जमा दरों में वृद्धि हुई।
- HDFC तथा HDFC बैंक के विलय के परिणामस्वरूप HDFC के ऋण तथा जमा को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया, जिसने समग्र आँकड़ों में योगदान दिया है।

भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के परिणाम :

- उच्च CD अनुपात से बैंक की महँगी, बड़ी जमाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति उसके मुख्य जमाकर्त्ताओं से नहीं हो सकती है और संभावित रूप से उच्च बहिर्वाह के कारण तरलता जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- इससे ऋण तक सीमित पहुँच के कारण व्यवसायों को तरलता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- बैंकों में डिपॉजिट क्रंच होने से भारत में कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- अतः इससे समग्र रूप से एक गंभीर आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए भारत में सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर

करने हेतु तत्काल कोई ठोस और प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के मामले में लगभग 20 वर्षों में सबसे खराब जमा संकट पर तत्काल ध्यान देने के साथ ही रणनीतिक हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।
- भारत वर्तमान में बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के जिस चुनौतीपूर्ण चरण से गुज़र रहा है, वैसी स्थिति में भारत में बैंकों की सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि उद्देश्य बन गया है।
- अतः भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के मामले में समाधान ढूँढने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्यबैंकों को इस समस्या से निपटने में सहयोग करना होगा।
- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के समस्या का समाधान के रूप में बैंकों में अधिक से अधिक जमा राशि को प्रोत्साहित करना एवं ऋण वितरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के समस्या की गंभीरता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता हमारी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रेरित कर सकती है।
- वित्त वर्ष 2025 में ऋण वृद्धि 16 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत होने की उम्मीद के बीच, बैंक जमा वृद्धि से आगे निकल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप एनआईएम में वित्त वर्ष 2024 के 3 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को उनके लगभग 93 प्रतिशत के उच्च एलडीआर और लगभग 18 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि के कारण सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच के संकट का समाधान खोजने के लिए, बैंकों को अपनी जमा नीतियों को फिर से तैयार करना होगा और ग्राहकों को अधिक – से – अधिक लाभकारी जमा योजनाएं प्रदान करनी होंगी।
- इसके साथ ही, भारत में वित्तीय साक्षरता और जन – धन योजना जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से जमा आधार को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।
- अंततः भारत में बैंकों को भी नवाचार और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से जमा वृद्धि को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे वे इस ' **डिपॉजिट क्रंच** ' की समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए भारत में बैंकों को भी डिजिटल

बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना होगा।

स्रोत – ' द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस '

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (2018)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता है, लेकिन किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता नहीं है।
2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष – पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी नहीं करती है।
3. भारत में कोष – पत्र ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर – C

प्रश्न. 2. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना।
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना।
3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना।

उपरोक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें :

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. इनमें से सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न.1. बैंकों में डिपॉजिट क्रंच से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि भारत के बैंकों में डिपॉजिट क्रंच की प्रमुख समस्याएं क्या है एवं इसका क्या समाधान हो सकता है ? तर्कसंगत उत्तर प्रस्तुत कीजिए।

भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – 'भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' भारत में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियां और उपचारात्मक याचिका ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के अपने पुराने फैसले को पलटते या बदलते हुए एक उपचारा-त्मक याचिका के माध्यम से अपनी "असाधारण शक्तियों" का प्रयोग किया है।
- दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-कंसोर्टियम के नेतृत्व वाली इस फैसले में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड मामला 2024 क्या है ?

DMRC को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं देने होंगे 8 हज़ार करोड़

अपना पहले का फैसला रद्द किया, DAMEPL को देनी थी भारी-भरकम रकम

■ विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि डीएमआरसी को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को मध्यस्थता आदेश के तहत 8000 करोड़ भुगतान की जरूरत नहीं है। मध्यस्थता आदेश में 2017 में डीएमआरसी को कहा गया था कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 8 हजार करोड़ का भुगतान करे। डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में डीएमआरसी की अर्जी खारिज कर दी थी और उसे मध्यस्थता आदेश के तहत भुगतान करने को कहा था। इसके बाद डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने क्यूरेटिव पिटिशन को स्वीकार कर लिया और कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फसैले को रद्द करके गलती की थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2019 में डीएमआरसी की अपील पर मध्यस्थता आदेश को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएसयू डीएमआरसी के लिए इस बात की बाध्यता नहीं है कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म) को 8 हजार करोड़ का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के जजमेंट को खारिज कर दिया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को बहाल रखा था। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के तहत डीएमआरसी को निर्देश दिया गया था कि वह ब्याज समेत भुगतान करे, जो करीब 8 हजार करोड़ से ज्यादा बनता है। 11 मई 2017 के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड ने फैसला दिया था और इसे डीएमआरसी ने चुनौती दी थी। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की रकम का ब्याज और तमाम अन्य चार्ज को जोड़कर डीएमआरसी पर 8 हजार करोड़ रुपये भुगतान का दायित्व था।

डीएएमईपीएल ने 2008 में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का ऑपरेशन 2038 तक करने के लिए डीएमआरसी से करार किया था। लेकिन 2012 में कंपनी ने मेट्रो के ऑपरेशन और रेट को लेकर हुए विवाद के कारण इसका ऑपरेशन बंद कर दिया था। डीएमआरसी के खिलाफ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाया और मामला आर्बिट्रेशन के लिए गया और टर्मनेशन शुल्क की मांग की। 2017 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने एयरपोर्ट मेट्रो के ऑपरेटर डीएएमईपीएल के दावे को स्वीकार किया था कि स्ट्रक्चरल खामियों के कारण इसका ऑपरेशन प्रैक्टिकल नहीं है। ट्रिब्यूनल ने 11 मई 2017 के अपने फैसले में डीएएमईपीएल के पक्ष में फैसला सुनाया था और 4600 करोड़ भुगतान करने को कहा था।

डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के जजमेंट को खारिज किया

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

Lens समझिए खबरों के अंदर की बात

दिल्ला मट्रो का क्या था ये मॉडल?

दिल्ली की ये इकलौती मेट्रो लाइन है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनाई गई थी। लेकिन ये मॉडल मेट्रो लाइन तैयार होने के कुछ साल के भीतर ही फ्लॉप हो गया। कायदे से प्राइवेट कंपनी के पास 2038 तक इस लाइन के ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी लेकिन पहले इसके सिविल स्ट्रक्चर में खराबी और अन्य मुद्दों को उठाते हुए 2013 में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी छोड़ दी। इसके बाद प्राइवेट कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लि. पहले इस मामले को आर्बिट्रेशन में ले गई और उसने दिल्ली मेट्रो से मुआवजा मांगा। आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो ने आर्बिट्रेटर के फैसले को चुनौती दी। तब से ये मामला अलग अलग अदालतों में चलता रहा।

- वर्ष 2008 में DMRC ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये DAMEPL के साथ भागीदारी की।
- सुरक्षा चिंताओं और परिचालन संबंधी मुद्दों जैसी विवादों के कारण का हवाला देते हुए वर्ष 2013 में DAMEPL द्वारा समझौते को समाप्त कर दिया गया था।
- इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने DAMEPL के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप DMRC को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दियागया । हालाँकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने DMRC को 75% राशि एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया था।
- इस मामले में सरकार ने अपील की और वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय के फैसले को DMRC के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था ।
- DAMEPL ने भारत के उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने शुरुआत में वर्ष 2021 में माध्यस्थम पंचाट (Arbitral Award) को बरकरार रखा था।

भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्तमान निर्णय :

- भारत के उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले ने अपने पुराने फैसले में "मौलिक त्रुटि" का हवाला देते हुए अब DMRC के पक्ष में फैसला सुनाया है ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उपचारात्मक याचिकाओं के महत्त्व को बताता है।

- यह निर्णय भारत में किसी भी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए कानूनी प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है साथ ही न्यायालय के अंतिम फैसले के वर्षों बाद भी त्रुटियों को सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की सदिच्छा (willingness) को प्रदर्शित करता है।

उपचारात्मक याचिका क्या है ?

- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जब अंतिम दोषसिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज़ होती है, तो उसके उसके बाद भी भारत में न्यायिक व्यवस्था के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्याय पाने के उद्देश्य से उपचारा-त्मक याचिका वादी के लिए एक कानूनी उपाय के रूप में कार्य करता है।
- भारत के संविधान के अनुसार भारत में संवैधानिक रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को आमतौर पर केवल समीक्षा याचिका के माध्यम से और उसके बाद भी संकीर्ण प्रक्रियात्मक आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है।
- भारत में उपचारात्मक याचिका न्यायिक विफलता को सुधारने हेतु एक संयमित न्यायिक नवाचार के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक विफलता को रोकने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकना होता है।
- उपचारात्मक याचिकाओं पर निर्णय आमतौर पर न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में लिया जाता है, हालाँकि विशिष्ट अनुरोध पर खुले न्यायालय में भी सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।
- उपचारात्मक याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य मामले, 2002 के मामले में दिया गया था।

भारत में उपचारात्मक याचिका दायर करने के संबंध में दिशा – निर्देश :

- याचिका के साथ किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणीकरण होना चाहिए, जिसमें इस पर पुनः विचार करने के लिए पर्याप्त आधारों पर प्रकाश डाला गया हो।
- इसे सबसे पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक पीठ में प्रसारित किया जाता है, साथ ही यदि उपलब्ध हो तो मूल निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों के साथ भी इसे साझा किया जाता है ।

- सुनवाई: केवल यदि न्यायाधीशों का बहुमत इसे सुनवाई के लिए आवश्यक समझता है, तो इसे विचार के लिए सूची-बद्ध किया जाता है,
- भारत में उपचारात्मक याचिका उसी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसने प्रारंभिक निर्णय पारित किया था।
- पीठ उपचारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी चरण में न्याय-मित्र के रूप में सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिव-क्ता को नियुक्त कर सकती है।
- यदि पीठ यह निर्धारित करती है कि याचिका तर्कराहित है और यह कष्टप्रद है, तो वह याचिकाकर्त्ता पर अनुकरणीय शुल्क लगा सकती है।
- भारत का उच्चतम न्यायालय इस बात पर ज़ोर देता है कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए उपचा-रात्मक याचिकाएँ दुर्लभ होनी चाहिए और उनकी समीक्षा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

भारत में उपचारात्मक याचिका पर पुनः विचार करने के लिए आवश्यक मानदंड :

- उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी भी स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र (Amicus Curiae) के रूप में मामले पर सलाह के लिये आमंत्रित कर सकती है।

उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के लिये जरूरी/ आवश्यक स्थितियाँ:

उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक मामले में दोषी के पास उपचारात्मक याचिका का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था ऐसे विशेष/असामान्य मामलों के लिये की गई है जहाँ उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी न्यायलय के निर्णय से न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण (Grave Miscarriage Of Justice) हो रहा हो।

Yojna IAS

नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन : यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, जैसे न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्त्ता के पक्ष को नहीं सुना गया है।

न्याय सुनिश्चित करने में पूर्वाग्रह की आशंका : यदि न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह का संदेह करने के आधार हैं, जैसे कि प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

भारत में उपचारात्मक याचिका से संबंधित अन्य मामले :

भारत संघ बनाम यूनियन कार्बाइड मामला (भोपाल गैस त्रासदी) :

- संघ सरकार भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिये अधिक मुआवज़े के लिये वर्ष 2010 में एक उपचारात्मक याचिका दायर की। वर्ष 2023 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज़ कर दी कि पहले निर्धारित किया गया मुआवज़ा पर्याप्त था।

- पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उपचारात्मक याचिका पर केवल न्याय के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, या भौतिक तथ्यों को दबाने के मामलों में ही विचार किया जा सकता है, जिनमें से कोई भी तथ्य इस मामले में मौजूद नहीं था।

नवनीत कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य मामला, 2014 :

- इस मामले ने मृत्युदंड के मामलों में बदलाव को चिह्नित किया। मृत्युदंड पाने वाले याचिकाकर्त्ता ने उपचारात्मक याचिका के माध्यम से सफलतापूर्वक तर्क दिया कि मानसिक बीमारी और दया याचिका के लिए अनुचित रूप से विलंब सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार बनाया गया था ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियाँ क्या हैं ?

- **विवादों का समाधान :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच कानूनी अधिकारों से जुड़े विवादों में विशेष मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है।
- **विवेकाधीन क्षेत्राधिकार :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह शक्ति सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट-मार्शल पर लागू नहीं होती है।
- **सलाहकारी क्षेत्राधिकार :** संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है, जहाँ भारत के राष्ट्रपति अपनी राय के लिये विशिष्ट मामलों को न्यायालय में भेज सकते हैं।
- **अवमानना की कार्यवाही :** संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है, जिसमें स्वत: संज्ञान या महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या किसी व्यक्ति द्वारा याचिका सहित स्वयं की अवमानना भी शामिल है।

समीक्षा और उपचारात्मक शक्तियाँ :

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति की मंज़ूरी से, न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम, अपील की सुनवाई, अधिकारों को लागू करना तथा अपीलों पर विचार करना शामिल है।
- इसमें निर्णयों की समीक्षा करने,, लागत निर्धारित करने, ज़मानत देने, कार्यवाही पर रोक लगाने और पूछताछ करने के नियम भी शामिल हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में उपचारात्मक याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसके तहत न्याय सुनिश्चित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, और न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्त्ता के पक्ष को नहीं सुना गया है।
2. भारत में उपचारात्मक याचिका उसी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसने मामले के संबंध में पूर्व में ही निर्णय दिया था।
3. इसके तहत इसमें निर्णयों की समीक्षा करने,, लागत निर्धारित करने, ज़मानत देने, कार्यवाही पर रोक लगाने और पूछताछ करने के नियम भी शामिल हैं।
4. इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक विफलता को रोकने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकना होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उपचारात्मक याचिका से आप क्या समझते हैं ? भारत में न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने के दौरान किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा किए गए भूलों या त्रुटियों को सुधारने में भारत के उच्चतम न्यायालय की उपचारात्मक याचिकाओं की विशेष शक्तियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

हरित ऋण कार्यक्रम

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 – ' जैव विविधता और पर्यावरण, हरित ऋण कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियाँ और उससे संबंधित चिंताएँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, लाइफ कैंपेन, कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल,, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' हरित ऋण कार्यक्रम ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के लिए नए नियमों की घोषणा की है , जिसकेअनुसार अब हरित ऋण कार्यक्रम के तहत केवल वृक्षारोपण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया गया है।

हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) क्या है ?

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को

बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करती है।

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, उद्योगों, और स्थानीय अधिकारियों को स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत, ग्रीन क्रेडिट उन गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गतिविधियों में **स्थायी कृषि, वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन, वायु प्रदूषण को कम करना, मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, पारिस्थितिक तंत्र के स्तर का विकास** और **टिकाऊ इमारतें और बुनियादी ढाँचा** शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल कार्बन पृथक्करण पर ही नहीं बल्कि स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाने वाले गैर-कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों पर भी जोर देता है।
- हरित ऋण कार्यक्रम के तहत, व्यक्ति, उद्योग, परोपकारी संस्थाएं, और स्थानीय निकाय स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं और ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित एक शासन ढांचा निर्मित किया गया है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) हरित ऋण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक प्रशासकीय संसथान के रूप में कार्य करता है।
- भारत में मध्य प्रदेश राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य है, जिसने पिछले दो महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को शामिल करते हुए 500 से अधिक भूमि क्षेत्रों में वृक्षारोपण को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दिया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, खराब वन भूमि पर वृक्षारोपण करने और हरित क्रेडिट अर्जित करने के लिए चौदह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, व्यक्तियों और संस्थाओं को केंद्र सरकार के समर्पित ऐप/वेबसाइट के माध्यम से अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा।
- यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक **' LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)** अभियान का हिस्सा है और स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है।

हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) का महत्त्व :

- भारत के हरित ऋण कार्यक्रम (GCP) का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और उससे जुडी हुई नीतियों में सुधार को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के अनुरूप है, जो वनों और वन्यजीवों की रक्षा करते हैं।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत के COP26 समझौते के अनुसार जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के पूरक के रूप में काम करता है और CO2 कटौती से परे व्यापार योग्य क्रेडिट के दायरे को व्यापक बनाता है।
- हरित ऋण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के अनुरूप है, जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुडी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। इसमें सभी हितधारकों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल होता है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन क्रेडिट से अलग और एक स्वतंत्र प्रकार का कार्यक्रम है जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत विनयमित और संचालित किया जाता है।
- कार्बन क्रेडिट, जिसे कार्बन ऑफसेट भी कहा जाता है, उत्सर्जन की अनुमति देते हैं। एक क्रेडिट 1 टन CO2 या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर होता है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट में जलवायु सह-लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण संभव हो सकता है।

भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ :

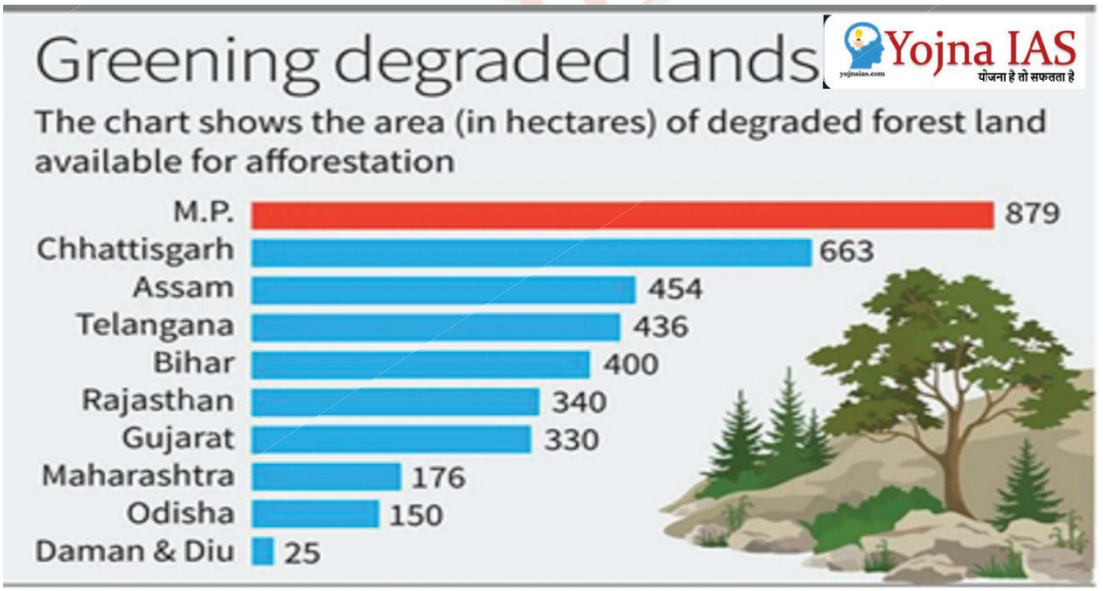

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –

1. **वन पारिस्थितिकी पर प्रभाव :** ग्रीन क्रेडिट के नियमों से वन पारिस्थितिकी को हानि पहुँच सकती है। इन नियमों के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए 'निम्नीकृत भूमि' की पहचान की जाती है, जिससे अवैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाश-कारी परिणाम हो सकते हैं।
2. **अस्पष्ट शब्दावली :** 'निम्नीकृत' जैसे शब्दों का उपयोग अस्पष्ट है और इससे औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण हो सकता है, जो मृदा

की गुणवत्ता, स्थानीय जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।

3. **हरित रेगिस्तानों का निर्माण :** ग्रीन क्रेडिट नियमों से 'हरित रेगिस्तान' बन सकते हैं, जहाँ वृक्षारोपण से पारिस्थितिक जटिलताओं और जैवविविधता को अनदेखा कर दिया जाता है।

4. **वनों की गलत मापन पद्धति :** वनों को केवल पेड़ों की संख्या के आधार पर मापने की आलोचना होती है, जो वन्यजीवों और उनके आवास की बहुस्तरीय संरचना को नजरअंदाज करता है।

5. **पर्यावरणीय सुदृढ़ता के संदर्भ पद्धति संबंधी चिंताएँ :** ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति पर पर्यावरणीय सुदृढ़ता के संदर्भ में प्रश्न उठाए गए हैं, और इससे पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है।

6. **बंजर भूमि' पर दबाव :** अपघटित भूमि खंडों' पर पेड़ लगाने का दबाव उन क्षेत्रों पर पड़ता है जो पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और जहाँ वनीकरण से स्थानिक प्रजातियों और पारिस्थितिक कार्यों को नुकसान हो सकता है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग, स्पष्ट नियमों का निर्माण, और पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत जैवविविधता-आधारित वनीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य पेड़ों की संख्या बढ़ाने के बजाय, विविध मूल प्रजातियों को संरक्षित करना और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना है। इस दृष्टिकोण से नव स्थापित वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों की तरह होते हैं और वन्यजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन प्रदान करते हैं।

- प्रौद्योगिकी का एकीकरण इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। सुदूर संवेदन और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके, वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वास्तव में निम्नीकृत भूमि की पहचान की जाती है, जिससे मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम हो।

- कार्यक्रम की पारदर्शिता और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया में "अपघटित भूमि" और "बंजर भूमि" की स्पष्ट परिभाषाएं शामिल हैं। इससे संबंधित हितधारकों को उनकी जिम्मेदारियों का बेहतर ज्ञान होता है और वे पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं।

- वन विभाग, व्यवसायों, और गैर सरकारी संगठनों के बीच ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के माध्यम से, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है। इससे वनीकरण के प्रयासों में सुधार होता है और पर्यावरणीय लाभों का विस्तार होता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में हरित ऋण कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हरित ऋण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र से जुडी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
2. यह ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के पूरक के रूप में काम करता है।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 वनों और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है।
4. यह जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों और COP26 के संधि के अनुसार है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हरित ऋण कार्यक्रम क्या है ? चर्चा कीजिए कि इस कार्यक्रम को लागू करने से भारत में पर्यावरण संरक्षण और देश के सामाजिक – आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों और उसको प्रभावी ढंग संचालित करने के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Yojna IAS
yojnaias.com